बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्राचार्य का कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर

पत्रांक :....................................../ मुजफ्फरपुर, दिनांक :../

प्रेषक :–

प्राचार्य,
औ0प्र0संस्थान, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :–वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विश्व बैंक परियोजना सम्पोषित COE योजनान्तर्गत सामग्रियों के क्रय हेतु अल्पकालीन कोटेशन से संबंधित विज्ञापन को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय पत्रांक 728 दिनांक 04.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि औ0प्र0संस्थान, मुजफ्फरपुर के लिए कोटेशन आमंत्रण सूचना को बिहार राज्य, क्षेत्रीय संस्करण एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु अभिलेख उपलब्ध कराया गया था जिसे Date to short के साथ लौटा दिया गया है। पुनः नए तिथि का निर्धारण करते हुए कोटेशन आमंत्रण सूचना को बिहार राज्य, क्षेत्रीय संस्करण एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु पुनः भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचना को शीघ्र प्रकाशित करते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

अनुलग्नक :– 1. विज्ञापन – 05 प्रतियाँ।
2. सी0डी0 – 01 अदद।

विश्वासभाजन

प्राचार्य
औ0प्र0संस्थान, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक :.......755......./ मुजफ्फरपुर, दिनांक :...14.09.2018........../

प्रतिलिपिः 1. निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार,पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अल्पकालीन कोटेशन की शर्त्तें एवं सामानों की सूची विभागीय वेवसाईट www.labour.bihar.nic.in पर प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

2.आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाध विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अल्पकालीन कोटेशन की शर्त्तें एवं सामानों की सूची विभागीय वेवसाईट www.labour.bihar.nic.in पर प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :– 1. विज्ञापन – 01 प्रतियाँ।
2. सी0डी0 – 01 अदद।

14/09/18

प्राचार्य
औ0प्र0संस्थान, मुजफ्फरपुर।

14/9/18

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
प्राचार्य का कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विश्व बैंक परियोजना सम्पोषित C.O.E योजनान्तर्गत वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन मेकानिक,टर्नर, मशिनिष्ट, फिटर,इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य व्यवसाय अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम के अनुरूप संस्थान स्तर पर विभिन्न प्रकार के मशीन, टूल्स एवं उपकरण,उपष्करों एवं अन्य शीर्ष से संबंधित क्रय हेतु बिहार राज्य के बिक्रीकर के अन्तर्गत (GST) निबंधित एवं अधिकृत प्रतिष्ठानों /आपूर्तिकर्त्ताओं तथा निर्माताओं से द्विलिफाफा पद्धति के माध्यम से मदवार एवं पैकेजवार मुहरबन्द कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन दिनांक 22–09–2018 को अपराह्न 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त किया जाएगा। हाथों हाथ कोई कोटेशन अथवा विलंब से प्राप्त कोटेशन स्वीकार्य नहीं होगी न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया जाएगा। प्राप्त कोटेशन क्रय समिति के समक्ष दिनांक 24–09–2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी। कोटेशन खोलने के समय कोटेशन दाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। कोटेशन की शर्त्तें एवं सामानों की सूची विभागीय वेवसाईट www.labour.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

–: कोटेशन की शर्त्तें :–

1. कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ अग्रधन के रूप में प्रति पैकेज रू0 15,000/–(पन्द्रह हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो PRINCIPAL, INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE, MUZAFFARPUR के पदनाम से मुजफ्फरपुर में भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य है। विभिन्न पैकेज में अंकित सभी सामान वॉछित अददों में आपूर्ति नहीं किए जाने पर अग्रधन की राशि जब्त कर सरकारी कोष में चालान द्वारा जमा कर दी जाएगी।
2. कोटेशन दो प्रतियों में (क) तकनिकी कोटेशन (ख) वित्तीय कोटेशन। दोनों कोटेशन को अलग–अलग लिफाफे में मुहरबन्द कर एवं दोनों कोटेशन की द्वितीयक प्रति को एक अन्य तीसरे लिफाफे में भरकर जिस के उपर द्वितीयक प्रति लिखा हो एवं मुहरबन्द हो, तीनों लिफाफे को एक बड़े चौथे लिफाफे में मुहरबन्द रहना अनिवार्य होगा। तकनिकी कोटेशन/ वित्तीय कोटेशन के लिफाफे के उपर भी किस प्रकार का कोटेशन है, स्पष्ट एवं बोल्ड अक्षर में लिखा होना अनिवार्य है। तकनिकी कोटेशन स्वीकृत होने के उपरांत ही वित्तीय कोटेशन खोली जाएगी।
3. प्रत्येक पैकेज एक अलग कोटेशन है। कोटेशन पैकेजवार एवं क्रमानुसार E-5 Document में अलग–अलग कोटेशनदाता द्वारा प्रत्येक पृष्टों पर हस्ताक्षरित कर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पैकेज पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. तकनिकी कोटेशन के साथ बैंक ड्राफ्ट, आयकर एवं बिक्री कर का प्रमाण पत्र (GST), बिक्री कर निबंधन (C-1), E-5 Document, आयकर पैन नम्बर एवं आयकर रिर्टन की स्व अभिप्रमाणित प्रति, प्रतिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है एवं किसी प्रकार का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है से संबंधित शपथ पत्र मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
5. तकनिकी कोटेशन के साथ E-5 Document में पैकेजवार सामानों के सामने निर्माता का नाम/Make अंकित करना अनिवार्य है। Make अंकित नहीं होने पर उन सामानों पर बिचार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ तकनिकी कोटेशन के साथ पैकेजवार सामानों की गारंटी/वारंटी जो आपूर्ति/अधिष्ठापन की तिथि से न्यूनतम 12 (बारह) माह होगी से संबंधित शपथ पत्र एवं संबंधित सामानों का कैटलग भी संलग्न करना होगा।
6. वित्तीय कोटेशन में बिक्रीकर (GST) एवं संस्थान तक पहुँचाने का भाड़ा सम्मिलित रहेगा। किसी प्रकार का अन्य कर अलग से देय नहीं होगा।
7. वित्तीय कोटेशन E-5 Document में सामानों के नाम के सामने निर्माता का नाम/Make स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। Make के स्थान पर Any Standard Make/ Local/ Reputed Make अंकित करने पर विचार नही किया जाएगा। सभी सामग्री राष्ट्रीय/ अंतराष्ट्रीय मानक प्राप्त होना चाहिए।
8. सभी कोटेशन निर्धारित फार्मेट E-5 Document में एवं कम्प्यूटर टंकित प्रति ही स्वीकार्य होगी तथा उसमें किसी प्रकार का संशोधन अथवा ओभरराईटिंग नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक पृष्टों पर हस्ताक्षर अनिवार्य है।
9. पैकेजवार अंकित प्रत्येक सामानों का मूल्य/दर अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा पैकेज/कोटेशन को रद्द समझा जाएगा चूँकि पैकेज के न्यूनतम दर का निर्धारण पैकेज में अंकित सभी सामानों के योग के न्यूनतम कुल राशि के आधार पर की जाएगी न कि अलग–अलग सामानों के न्यूनतम दर पर। कोटेशन की समय सीमा कोटेशन खोले जाने की तिथि से 6(छः) माह होगी।
10. कोटेशन दाता के प्रतिष्ठान के पास न्युनतम 5(पाँच) वर्षो का सरकारी कार्यालय/संस्थानों में सामग्री की आपुर्ति करने का अनुभव आवश्य होना चाहिए। तथा इससे संबंधित अभिलेख कोटेशन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
11. कोटेशन की शर्त्तें एवं सामानों की सूची अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय अवधि में स्वयं के व्यय पर प्राप्त की जा सकती है।
12. जिन कोटेशनदाता के कोटेशन स्वीकृत की जाएगी उन्हें आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 07(सात) दिनों के अन्दर सामानों को सूची के अनुसार संस्थान में पहुँचाना अनिवार्य होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. किसी भी कोटेशनदाता को बिना कारण बताए कोटेशन को पूर्णतः/अंशतः अस्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य / क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
14. कोटेशन से संबंधित किसी प्रकार के मामले का न्यायिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर होगी।
15. कोटेशन स्वीकृति के उपरांत आपूर्ति/ मशीन टूल्स एवं उपष्करों की अधिष्ठापन एवं उसकी गुणवत्ता की जॉच के उपरांत सही पाए जाने पर राशि की उपलब्धता के अनुसार 5% Performance Security को काटकर भुगतान किया जाएगा जिसे बाद में Performance Report के आधार पर भुगतान कर दिया जाएगा।
16. तकनिकी जॉच के क्रम में खराब पाए गए सामानों को बदलने एवं वापस ले जाने की जिम्मेवारी संबंधित प्रतिष्ठान की होगी।
17. विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेवसाईट www.labour.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

14/09/18

प्राचार्य
औ0प्र0संस्थान, मुजफ्फरपुर।

14/9/18